वित्तीय स्वीकृति

संख्या- **9/2020/**भा0स0 23/52-3-20-बजट(17)/2017

प्रेषक,

इच्छाराम,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 22 दिसम्बर, 2020

विषयः-केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 व 2015-16 हेतु अवमुक्त धनराशि निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक-18.11.2020 एवं 25.11.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा/मकतब शिक्षा अनधुनिकीकरण (एस0पी0क्यू0ई0एम0) योजनान्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 हेतु 189 मदरसों के लिए द्वितीय किश्त रू0 7204400/- एवं वर्ष 2013-14 84 मदरसों के लिए हेतु द्वितीय किश्त रू0 3432000/- एवं वर्ष 2015-16 हेतु 456 मदरसों के लिए द्वितीय किश्त रू0 60336000/- अर्थात भारत सरकार द्वारा अवमुक्त कुल केन्द्रांश रू0 7,09,72,400/- आवंटित की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 के प्रस्तर-2(12) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में के आय व्ययक के लेखाशीर्षक- 2202-01-800-01-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण (के0-60/रा0-40/के0$रा0)-20 सहायता अनुदान सामान्य(गैर वेतन) योजनान्तर्गत प्रावधानित बजट रू0 03,94,07,47,000/- के सापेक्ष वर्ष 2013-14 हेतु 189 मदरसों के लिए द्वितीय किश्त रू0 7204400/- एवं वर्ष 2013-14 हेतु 84 मदरसों के लिए हेतु द्वितीय किश्त रू0 3432000/- एवं वर्ष 2015-16 हेतु 456 मदरसों के लिए द्वितीय किश्त रू0 60336000/- अर्थात भारत सरकार द्वारा अवमुक्त कुल केन्द्रांश रू0 7,09,72,400/- (रू0 सात करोड़ नौ लाख बहात्तर हजार चार सौ मात्र) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) वित्त (आय-व्ययक)अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 एवं 11.04.2020 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा अनुदानित या वेतन/मानदेय दिये जाने वाले मदरसा शिक्षकों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 31.12.2020 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, ताकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से मानदेय/वेतन मद में दोहरा भुगतान न होने पाये एवं पारदर्शिता बनी रहे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं समय≤ पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि मदरसों के अस्तित्व के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त होने एवं आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) के शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों

के अध्यापन की पुष्टि होने के पश्चात ही धनराशि भुगतान की जायेगी। यह भी पुनः देख लिया जायेगा कि लाभान्वित मदरसा भारत सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तगत निर्गत गाइड लाइन की समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों को पूर्ण करता है। यदि किसी मदरसें में अनियमित भुगतान किया जाता है, तो इसके लिये संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पूर्णतया उत्तरदायी होंगे तथा अनियमित रूप से भुगतान की गयी धनराशि की वसूली नियमानुसार उनसे सुनिश्चित की जायेगी।

(5) निदेशक एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे स्वीकृत धनराशि का दिशा-निर्देशो के अनुसार सदुपयोग सुनिश्चित करेगें। किसी भी दशा में अस्तित्वहीन मदरसे तथा अस्तित्वहीन शिक्षक को धनराशि वितरित न हो, वितरण तभी सुनिश्चित किया जायेगा जो वास्तव में उपस्थित रह कर मदरसों में शिक्षण कार्य सुनिश्चित कराया गया हों। वितरण पारदर्शी तरीके से होगा तथा व्यय का पूर्ण लेखा-जोखा व अभिलेख सुरक्षित रखने का दायित्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत योजना की धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र अविलम्ब शासन को पे्रषित किया जायेगा, जो धनराशि व्यय नही हो सकती उसकी जानकारी विवरण सहित शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) शिक्षकों के मानदेय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से उसी अवधि के मानदेय का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि के लिए धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एक माह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि निदेशक/रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित मदरसों को अनुदान की धनराशि तभी निर्गत की जायेगी, जब वह मदरसे के संबंध में नियमो/शासनादेशों के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समस्त मानकों की पूर्ति संबंधी प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति से संतुष्ट हो लेंगे।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-''2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण (के060/रा040-के0$रा0)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-4-952/दस-2020, दिनांक- 22 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इच्छाराम)
अनु सचिव

संख्या-भा0स0 23(1)/52-3-20 तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त निदेशक (एम0सी0) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा-प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन, थार्न हिल रोड, इलाहबाद।

5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

6- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ ।

shreetron (D:\shoeb k)

7- वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3 संबंधित सहायक।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इच्छाराम)
अनु सचिव